संख्या:1571/आठ-1-18-106विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2-समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4-अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5-नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2018

विषय :प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु ऑन-लाइन आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

2- उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-93/आठ-1-16-04विविध/16 दिनांक 15 जनवरी, 2016 के बिन्दु-2 (2) में निर्देशित किया गया है कि "योजना में आवंटन हेतु पंजीकरण अभिकरण की वेबसाइट पर ऑन-लाइन ही किया जाये तथा योजना के मुख्य-मुख्य आकर्षण बिन्दु का भी उल्लेख किया जाये"। तदनुसार ही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु अभिकरण की वेबसाइट पर ऑन-लाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण की भांति समस्त अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर पंजीकरण हेतु ऑन-लाइन आवेदन प्राप्त कर, पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाये।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।

6- निदेशक, सूडा, उ०प्र०।

7- निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।

8- समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner